


फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

विपक्षी बाबुलाल
 मुकदमा 212 R.T. Act पत्रावली संख्या 43 सन 19

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>14/6/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पत्रकारों को उप. वि. सं. 1 का वकालत पत्र अधि. श्री सुनील कुमार जोरस्तवाल द्वारा मुलवाद में पेश किया गया। पत्रावली वास्तु में पेश विपक्षी दिनांक 23/8/24 को पेश हो।</p>	
<p>23/8/24 मुकलाय वादी/प्रतिवादी उप. पत्रावली पेश के लिये मौका चाहते हैं। अतः अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 25/10/24 को पेश हो।</p>	
<p>(SDO) मावली</p> <p>25/10/24 पत्रावली पेश 5. बकील प्राथी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना सं. दि. 23/12/24 को पेश हो</p>	
<p>23/12/24 मुकलाय वादी/प्रतिवादी उप. पत्रावली पेश के लिये मौका चाहते हैं। अतः अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 10/3/25 को पेश हो।</p>	



10/03/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण
मय प्रार्थीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण
मय प्रार्थीगण को निरन्तर आवाजे दिलवाई
गई। समय साँच 5:00 PM हो चुके हैं।
अधिवक्ता प्रार्थीगण मय प्रार्थीगण अब तक
अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण मय
प्रार्थीगण अनुपस्थित रहने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना
पत्र अदम हजरी अदम पैखी में खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसल शुमार लेकर नम्बर से कम है।
निर्णय चुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक दालक्टर
(SBO) मकली

निर्णय (002)